भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1360

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947, (शक)

ईएसआई के लाभ के दायरे का विस्तार

1360. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनधिकृत क्षेत्र में कार्यरत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी, (मनरेगा), ऑटो रिक्शा, टैक्सी, दर्जी आदि जैसे श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का लाभ देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पात्र वर्ग के श्रमिकों को ईएसआई लाभ प्रदान करने के लिए आय की मौजूदा सीमा बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का कोल्लम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए एक कुशल तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो आईएमएस के तहत संचालित ईएसआई औषधालयों में रखे गए पंजी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप-क्षेत्रीय कार्यालय (ईएसआईसी एसआरओ) द्वारा दर्शाई गई बीमित व्यक्तियों (आईपी) की संख्या में असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या सरकार का केरल में आईएमएस के नियंत्रणाधीन ईएसआईसी औषधालयों में बीमित व्यक्तियों की ईएसआईसी हिस्सेदारी बढ़ाने का विचार है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, दस या अधिक कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 21,000 रुपये (निःशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये) तक है। अतः यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

जारी...2/-

वेतन सीमा में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा में अंतिम संशोधन दिनांक 01.01.2017 से किया गया था, जिसमें वेतन सीमा 15,000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,000/- रुपये प्रति माह कर दी गई थी।

(ङ) और (च): कर्मचारी राज्य बीमा निगम की मौजूदा आईटी-सक्षम प्रणाली पात्रता मानदंडों का सत्यापन करती है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के तहत बीमित व्यक्तियों (आईपी) को लाभ प्रदान करने के लिए एक सक्रिय और परिवर्तनीय सूची बनाए रखती है। यह सूची नियोक्ता के प्रस्तुतीकरण, अंशदान ब्यौरा और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से अद्यतित की जाती है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में बीमित व्यक्तियों की संख्या इसी सक्रिय प्रणाली से प्राप्त होती है और सभी ईएसआईसी औषधालय पूरी तरह से केंद्रीय रूप से संधारित ऑनलाइन डेटा पर निर्भर करते हैं।

(छ) और (ज): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****